I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित / संगत / समबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी / एसएलईटी / एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल / पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 / आईसीएसएसआर / सीएसआईआर अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी / एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शांघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शांघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्व के शीर्षतम 500

रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका उक) और महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका उख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।